अज अदालत – अपर कलक्टर

प्रकरण संख्या 16/2018

मुकाम अजमेर

श्री सीमा-2

बनाम भागचन्द

SP ओझा Adv

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	राकेश नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
8/7/22	वकील प्रार्थी / राज॰अभि॰ हाजि॰। वकील प्रार्थी ने कायम मुकाम कार्यवाही हेतु समय चाहा। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं॰ 1 से 12 के नाम नोटिस तलबाना भरकर पेश करे। पेश होकर जारी हो। वकील अप्रार्थी सं॰ 1 ने जवाब हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम अप्रार्थी सं॰ 13 नोटिस जवाब हो। पेश हो।	
5/8/22	(कैलाश चन्द्र शर्मा) अपर कलक्टर, अजमेर उभयपक्ष / प्रार्थी / अप्रार्थी [illegible] द्वारा ऐसोसिऐशन द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने [illegible] पूर्ववत कार्यवाही हेतु दिनांक 16/9/22 को पेश हो।	
16/9/22	(कैलाश चन्द्र शर्मा) अपर कलक्टर, अजमेर वकील प्रार्थी / राज॰ अभि॰ हाजि॰। पत्रावली वास्ते पूर्ववत कार्यवाही पत्रावली दि॰ 28/10/22 को पेश हो।	
28/10/22	(कैलाश चन्द्र शर्मा) अपर कलक्टर, अजमेर उभयपक्ष के वकील उपस्थ। वकील प्रार्थी ने दिनांक 26/7/18 से दिनांक 16/9/22 तक दर्ज जबसट ईयर के डाटा एन्ट्री में अप्रार्थी सं॰ 13 के नाम मुकाम की गलती हो। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं॰ 13 के कायम मुकाम की गलत जबसट ईयर के पश्चात ही मुकदमा की वजह जबसट ईयर के पश्चात ही पैरवी नहीं करने के कारण ग्रामसेवा-दफ्तर कायम पालना / कदम तहसील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बैकट नंबर से कम हो।	
	(कैलाश चन्द्र शर्मा) अपर कलक्टर, अजमेर	